मैनुअल – 12

अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की नीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमो के लाभार्थी ब्यौरे सम्मिलित हैं

¼The Manner of Execution of Subsidy Programmes, Including the Amounts Allocated and the Details of Beneficiaries of Such Programmes½

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड,

जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, जिसमे आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थी ब्यौरे सम्मिलित हैं–

(The Manner of Execution of Subsidy Programmes, Including the Amounts Allocated and the Details of Beneficiaries of Such Programmes)

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लधु एवं सीमान्त कृषकों के लिए चाय बागान के विकास हेतु एक नवीन योजना प्रारम्भ की जा रही है। ऐसे सभी लघु सीमान्त कृषक इस योजना का लाभ ले सकेगें जिनके पास 10 नाली से 500 नाली तक भूमि उपलब्ध है।

1) चाय रोपण हेतु उस क्षेत्र विशेष के कास्तकारों का ही चयन बोर्ड द्वारा किया जायेगा जिस क्षेत्र में 60–100 हैक्टेयर भूमि चाय रोपण हेतु उपयुक्त पायी जायेगी तथा जहाँ पर एक फैक्ट्री की स्थापना हो सके। वर्तमान में यह योजना जनपद बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ (कुमाऊँ मण्डल) तथा जनपद चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी (गढवाल मण्डल) में प्राथमिकता से लागू की जा रही है।

2) चाय विकास के क्षेत्र में लघु कृषक की भूमि में चाय बागान लगाने की उपयुक्तता के सम्बन्ध में कृषक की भूमि के मृदा नमूने बोर्ड की प्रयोगशाला में परीक्षण किये जाने होंगे।

3) चाय की खेती हेतु भूमि का मृदा सारांश 4.5 से 5.5 अथवा 6.0 तक होना आवश्यक है तथा 20–30 किलोमीटर की परिधि में 60–100 हैक्टेयर भूमि उपलब्धता जिसमें चाय प्लान्टेशन की सम्भावना हो ताकि उक्त क्षेत्र के मध्य में फैक्ट्री की स्थापना से चाय उत्पादक अपने बागानों की हरी पत्तियाँ फैक्ट्री को विक्रय कर सके।

4) भूमि सम्बन्धित कास्तकार के नाम पर दर्ज है, इसका राजस्व विभाग से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

6) 1 हैक्टेयर भूमि में 15000 पौध लगानी होगी, तथा प्रति हैक्टेयर 1 व्यक्ति को श्रमिक के रूप में रोजगार मुहैया कराया जायेगा।

7) बोर्ड द्वारा कास्तकारों की भूमि 15 वर्ष अनुबन्ध पर लेकर उसमें चाय प्लान्टेशन किया जाता है तथा निर्धारित लीज अवधि के बाद विकसित बागान कास्तकारों को स्वयं संचालन

हेतु वापस किये जाने प्रस्तावित हैं जिनसे प्राप्त हरी पत्तियों को कास्तकार द्वारा फैक्ट्री को विक्रय कर आय अर्जित की जा सके।

8) 7 वर्ष तक कोई लीज किराया देय नहीं होगा 8 से 15 वर्ष तक कुल प्राप्त हरी पत्ती के मूल्य का 20 प्रतिशत लीज किराये के रूप में देय होगा।

9) उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा तकनीकी सहायता निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

10) भारतीय चाय बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में चाय उत्पादक कास्तकार को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चाय उत्पादक राज्यों का भ्रमण करवाया जायेगा जिससे वे चाय उत्पादन में प्रशिक्षित हो सकें।

अनुदान /राजसहायता कार्यक्रमो के क्रियान्वयन की रीति

कार्यक्रम /योजना का नामः	पूर्व से संचालित उप परियोजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना एवं मनरेगा योजना
कार्यक्रम /योजना के प्रभावी रहने की सीमाः	अनिश्चित
कार्यक्रम का उद्देश्यः	चाय विकास को बढ़ावा देकर स्थानीय कास्तकारों की आय बढ़ाना व रोजगार उपलब्ध कराना तथा पलायन को रोकना है।
लाभार्थी की पात्रताः	उत्तराखण्ड में चाय को कुटीर उद्योग का रूप देना
पूर्वापेक्षाऐंः	स्वयं कास्त करना
अनुदान/राजसहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	कास्तकारों की भूमि में निःशुल्क चाय बागानविकसित करना
पात्रता निश्चित करने के लिए मापदण्ड	चाय की खेती हेतु भूमि का मृदा सारांश (पी.एच.) 4.5 से 6.0 तक होना आवश्यक है, तथा 20–30 किलोमीटर की परिधि में 60–100 हैक्टेयर भूमि में प्लान्टेशन की संभावना हो ताकि फैक्ट्री की स्थापना से उत्पादक अपनी हरी पत्तियाँ फैक्ट्री को विक्रय कर सके।
दिये जाने वाले अनुदान/ सहायता का विवरणव वितरण की प्रकिया	भूमि चाय रोपण हेतु उपयुक्त पाये जाने व जिला स्तर/शासन स्तर/प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जाने के उपरान्त उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा कास्तकारों की भूमि पर निःशुल्क चाय बागान लगाये जायेंगे तथा बागान विकसित होने पर उन्हें स्वयं

	संचालन हेतु उन्हें वापस किया जायेगा। बोर्ड द्वारा कास्तकारों को निःशुल्क तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे संपर्क करें	निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा
आवेदन शुल्क शून्य	
अन्य शुल्क शून्य	
आवेदन पत्र का प्रारूप	सादे कागज पर स्वीकृत योजना की शर्तो पर प्लान्टेशन करने हेतु सहमति
संलग्नकों की सूची	शून्य
संलग्नकों का प्रारूप	शून्य
प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहाँ संपर्क करें	बोर्ड के अध्यक्ष, निदेशक/सचिव सदस्य एवं बोर्ड के मुख्यालय
लाभार्थियों की सूची	बोर्ड द्वारा पर्वतीय जनपदों के विभिन्न विकास खण्डों में उक्त योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। लाभार्थियों की सूची सम्बन्धित क्षेत्र के बागान प्रबन्धकों से प्राप्त किये जा सकते हैं।